

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिडावा

क्रमांक:- राजस्व/प्रार्थना पत्र/27/2021

दायर दिनांक 18/06/2021

उनवान:- गायत्रीबाई बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सुनेल
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 18/06/2021

प्रार्थीया गायत्रीबाई पत्नि राकेश कुमार जाति धाकड़ नि० सिरपोई तहसील सुनेल जिला झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम सामरिया पटवार मण्डल सामरिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नम्बर 1236/927 रकबा 1.0117 हेक्टेयर खाते दर्ज है, जिसकी तरमीम शुद्धी बाबत निवेदन किया हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार सुनेल से जांच रिपोर्ट ली गई जांच रिपोर्ट अनुसार नम्बर 1236/927 रकबा 1.0117 पर गायत्रीबाई पत्नि राकेश कुमार जाति धाकड़ नि० सिरपोई का कब्जा काश्त व खाते दर्ज है। DILRMP योजना के तहत नक्शा शीट में तरमीम करते वक्त सवहन से ख०न० 927 की तरमीम में मेडे उत्तर से दक्षिण दर्ज की गई है जो गलत है। सही तरमीम पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा कर शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस बाबत तहसीलदार सुनेल द्वारा तरमीम शुद्ध करने की रिपोर्ट मय अनुशंषा की है।

अतः प्रार्थीया के तरमीम दुरुस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सुनेल, पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा रेकार्ड के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सामरिया पटवार मण्डल सामरिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खसरा नं. 1236/927 को नक्शा शीट में तरमीम पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा कर शुद्ध किये जाने की आज्ञा एद्द द्वारा प्रदान की जाती है।

संलग्न:-पटवारी सामरिया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा



क्रमांक:- राजस्व/2021/478-79
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु प्रेषित।
2. प्रार्थीया श्रीमती गायत्रीबाई पत्नि राकेश कुमार जाति धाकड़ नि० सिरपोई को सूचनार्थ।

(उम्मेद सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़
पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)
दिनांक 18/06/2021

(उम्मेद सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़
पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

